संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 285,286 भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता,2023

न्यायालयः— शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-Sum ---161-/2026

अपराध किये जाने का दिनांक 05.06.26

रिपोर्ट का दिनांक 01.07.26

अभियोगी / परिवादी का विवरण -

म.प्र. शासन द्वारा -- थाना प्रभारी

थाना जावद तहसील जावद जिला नीमच म.प्र.

अभियुक्त का नाम, पैतृकता और निवास

अभियुक्त हीरालाल पिता रतनलाल खटीक आयु- 70 साल

निवासी-- वार्ड नं. 15 सरवानिया म.प्र. तहसील जावद जिला नीमच म.प्र.

आपने दिनांक 05.06.26 समय 14:05 बजे के करीब TVS शोरूम के सामने सरवानिया म.प्र. मे सट्टा पर्ची / वरली मटका के माध्यम से अंकों अंको संकेतों पर रूपयों की हार—जीत का दॉव लगाकर जुऍं के प्रचार प्रसार मे सहयोग किया। इसके द्वारा आपने धारा 4 (क) सार्वजनिक घूत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है। क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

(शुभा रिछारिया दीक्षित)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक एवं परीक्षण (यदि किया हो) —

अपराध स्वीकार है

(शुभा रिछारिया दीक्षित)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)

हीरालाल

न्यायालयः— शुमा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथन श्रेणी जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)

समरी.कमांक— 161/26

// निर्णय //

(आज दिनांक 01.07.26 को पारित किया)

अभियुक्त की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीन नहीं होता है।

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध मे दोषसिद्धी पर न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास एवं रूपये 1000 मात्र के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड की अदायगी मे व्यतिकम पर अभियुक्त पर तीन दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा संपत्ति मे से रूपये 430 धारा 498 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे विहित समयावधि पश्चात राजसात किये जाते हैं। शेष संपत्ति निर्मूल्य होने से नष्ट की जावे।

दिनांक 01.07.26 मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(शुमा रिछारिया दीक्षित)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावद, जिला—नीमच (म.प्र.)